

आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर

— आदेश —

आदेश क्रमांक/व्यय/3-18-1/2018/ 10

सागर दिनांक 27/01/2018

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर के पत्र क्र/मा.चि/18/2018/01 दि. 02/1/2018 द्वारा प्रस्तुत सागर जिला में कड़ान मध्यम परियोजना डूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के बदले रकवा 96.00 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना का प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1- चयनित क्षेत्र का यूजर एजेन्सी से सीमांकन एवं भूमि को आधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
- 2- कार्यों में मितव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाये।
- 3- क्रय की जाने वाली सामग्री में भंडार क्रय नियमों का पालन करें एवं जी.एस.टी. का तत्काल भुगतान करें।
- 4- रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जावे। मृदा परीक्षण अनुसार रोपण हेतु पौधों की प्रजाति का चयन करें व कृषि उपकरण से सिंचाई करें।
- 5- कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मु.व.सं. (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र/भू-सर्वे/बजट/10/1415 दि. 24.2.2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
- 6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 168 दि. 18.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 7- आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

क.	परिक्षेत्र का नाम	वीट का नाम	कार्य का नाम	खसरा नम्बर	रकवा है०में	तकनीकी स्वीकृति राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	मालथौन	-	वैकल्पिक वृक्षारोपण	1/1 मृगावली	96.00	2,93,77,291/- (रु. दो करोड़ तेरानवें लाख सतहत्तर हजार दो सौ इकानवे मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक NS-6 के अ.क्र. 61 पर दर्ज की गई है।

(व्ही.के.वर्मा)

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक
सागर वृत्त, सागर

सागर दिनांक 27/01/2018

पृष्ठा.क्रमांक/व्यय/3-18-1/2018/ 178

प्रतिलिपि :- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3- वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर की ओर उनके पत्र क्र/मा.चि./2018/01 दि. 02.1.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्न - अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

4- मानचित्रकार शाखा प्रभारी, वृत्त कार्यालय, सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक
सागर वृत्त, सागर

आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर

— आदेश —

आदेश क्रमांक/व्यय/3-18-1/2018/ 11

सागर दिनांक 27/01/2018

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर के पत्र क्र/मा.चि./18/2018/01 दि. 02/1/2018 द्वारा प्रस्तुत सागर जिला में कड़ान मध्यम परियोजना डूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के बदले रकवा 96.00 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना का प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1- चयनित क्षेत्र का यूजर एजेन्सी से सीमांकन एवं भूमि को आधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
- 2- कार्यों में मितव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाये।
- 3- क्रय की जाने वाली सामग्री में भंडार क्रय नियमों का पालन करें एवं जी.एस.टी. का तत्काल भुगतान करें।
- 4- रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जावे। मृदा परीक्षण अनुसार रोपण हेतु पौधों की प्रजाति का चयन करें व कृषि उपकरण से सिंचाई करें।
- 5- कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मु.व.सं. (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र/भू-सर्वे/बजट/10/1415 दि. 24.2.2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
- 6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 168 दि. 18.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आस्थासूचक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

क.	परिक्षेत्र का नाम	वीट का नाम	कार्य का नाम	खसरा नम्बर	रकवा है०में	तकनीकी स्वीकृति राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	मालथौन	—	वैकल्पिक वृक्षारोपण	402/1	30.00	1,24,07,413/- (रु. एक करोड़ चौबीस लाख सात हजार चार सौ तेरह मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक NS-6 के अ.क्र. 62 पर दर्ज की गई है।

(व्ही.के.वर्मा)

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक

सागर वृत्त, सागर

सागर दिनांक 27/01/2018

पृष्ठा.क्रमांक/व्यय/3-18-1/2018/ 179

प्रतिलिपि :- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3- वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर की ओर उनके पत्र क्र/मा.चि./2018/01 दि. 02.1.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्न - अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

4- मानचित्रकार शाखा प्रभारी, वृत्त कार्यालय, सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक

सागर वृत्त, सागर

आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर

- आदेश -

आदेश क्रमांक/व्यय/3-18-1/2018/25

सागर दिनांक 30/01/2018

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर के पत्र क्र/मा.चि/18/2018/93 दि. 30/1/2018 द्वारा प्रस्तुत सागर जिला की कड़ान मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 248.76 हैक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने के बदले रकवा 50 हैक्टेयर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना का प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1- चयनित क्षेत्र का यूजर एजेन्सी से सीमांकन एवं भूमि को आधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
- 2- कार्यों में मितव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाये।
- 3- क्रय की जाने वाली सामग्री में भंडार क्रय नियमों का पालन करें एवं जी.एस.टी. का तत्काल भुगतान करें।
- 4- रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जावे। मृदा परीक्षण अनुसार रोपण हेतु पौधों की प्रजाति का चयन करें व कृषि उपकरण से सिंचाई करें।
- 5- कराये जाने वाले वृक्षारोपण में भू.व.सं. (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र/भू-सर्वे/बजट/10/1415 दि. 24.2.2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
- 6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 168 दि. 18.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 7- आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वीट का नाम	कार्य का नाम	खसरा नम्बर	रकवा है0में	तकनीकी स्वीकृति राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर सागर	-	वैकल्पिक वृक्षारोपण	37/2	50.00	1,00,81,500/- (रु. एक करोड़ इक्यासी हजार पाच सौ मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक NS-6 के अ.क्र. 62 पर दर्ज की गई है।

(व्ही.के.वर्मा)

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक

सागर वृत्त, सागर

सागर दिनांक 30/01/2018

पृष्ठा.क्रमांक/व्यय/3-18-1/2018/570

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर की ओर उनके पत्र क्र/मा.चि./2018/93 दि. 30.1.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्न -

अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

- 4- मानचित्रकार शाखा प्रभारी, वृत्त कार्यालय, सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक

सागर वृत्त, सागर

आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर
/ आदेश /

आदेश क्रमांक/व्यय/2018/19

सागर दिनांक 29/01/2018

वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./119 दिनांक 19/01/2018 द्वारा प्रस्तुत सागर जिला में वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण कड़ान मध्यम परियोजना में प्रभावित 248.46 हेक्ट. वनभूमि के बदले 4.68 हेक्ट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार, दिनांक 03/09/2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. चयनित क्षेत्र का यूजर ऐजेंसी से सीमांकन एवं भूमि को अधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
2. कार्यों में मितव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाये।
3. क्रय की जाने वाली सामग्री में भण्डार क्रय नियमों का पालन करे एवं GST का तत्काल भुगतान करे।
4. रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जायेगा।
5. कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/भू-सर्वे/बजट/1415 दिनांक 24/02/2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/168 दिनांक 18/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगी।

क्र	वन मंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हे.में.	राशि ₹ में
1	दक्षिण सागर	केसली	खरखरी	1	4.68	59,37,348.00 (उनसठ लाख सैतीस हजार तीन सौ अठतालीस मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-5...5 के अनुक्रमांक ...6... पर दर्ज है।

मा.चि.
वन मंडल अधिकारी
दक्षिण सागर वृत्त, सागर
29-01-18
1112

(विकास करण वर्मा)

भा.व.से

मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत्त सागर

सागर दिनांक 29/01/2018

पृ.क्रमांक/व्यय/2018/542
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 3. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र पत्र क्रमांक/मा.चि./119 दिनांक 19/01/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
 4. मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- संलग्न:- अनुमोदित प्रोजेक्ट (अनु0 3 हेतु)

29-01-18
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

आदेश द्वारा श्री विकारा करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर
/ आदेश /

आदेश क्रमांक/व्यय/2018/20

सागर दिनांक 29/01/2018

वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./119 दिनांक 19/01/2018 द्वारा प्रस्तुत सागर जिला में वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण कड़ान गध्यम परियोजना में प्रभावित 248.46 हेक्ट. वनभूमि के बदले 14.38 हेक्ट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार, दिनांक 03/09/2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. चयनित क्षेत्र का यूजर ऐजेंसी से सीमांकन एवं भूमि को अधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
2. कार्यों में मितव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाये।
3. क्रय की जाने वाली सामग्री में भण्डार क्रय नियमों का पालन करे एवं GST का तत्काल भुगतान करे।
4. रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जायेगा।
5. कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/भू-सर्वे/बजट/1415 दिनांक 24/02/2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/ 168 दिनांक 18/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगी।

क्र	वन मंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हे.में.	राशि ₹ में
1	दक्षिण सागर	केसली	भरदी	88	14.38	1,50,38,999.00 (एक करोड़ पचास लाख अठतीस हजार नौ सौ निन्यानवे मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-8-5 के अनुक्रमांक 65 पर दर्ज है।

मा.चि.
वन मंडल अधिकारी
दक्षिण सागर वृत्त सागर
29-01/18
पृ.क्रमांक/व्यय/2018/543
प्रतिलिपि :-

(विकास करण वर्मा)

भा.व.से

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

सागर दिनांक 29/01/2018

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र पत्र क्रमांक/मा.चि./119 दिनांक 19/01/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4. मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।
संलग्न:- अनुमोदित प्रोजेक्ट (अनु0 3 हेतु)

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर
/ आदेश /

आदेश क्रमांक/व्यय/2018/ 22

सागर दिनांक 29/01/2018

वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./119 दिनांक 19/01/2018 द्वारा प्रस्तुत सागर जिला में वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण कड़ान मध्यम परियोजना में प्रभावित 248.46 हेक्टर वनभूमि के बदले 47.00 हेक्टर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार, दिनांक 03/09/2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. चयनित क्षेत्र का यूजर ऐजेंसी से सीमांकन एवं भूमि को अधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
2. कार्यों में मितव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाये।
3. क्रय की जाने वाली सामग्री में भण्डार क्रय नियमों का पालन करे एवं GST का तत्काल भुगतान करे।
4. रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जायेगा।
5. कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/भू-सर्वे/बजट/1415 दिनांक 24/02/2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/ 168 दिनांक 18/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगी।

क्र	वन मंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हे.में	राशि ₹ में
1	दक्षिण सागर	देवरी	मुडरी	47/1	47.00	4,20,27,455 (चार करोड़ बीस लाख सत्ताइस हजार चार सौ पचपन मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-5 के अनुक्रमांक पर दर्ज है।

(विकास करण वर्मा)

भा.व.से

मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत सागर

सागर दिनांक 29/01/2018

पृ.क्रमांक/व्यय/2018/ 554
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 3. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./119 दिनांक 19/01/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
 4. मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- संलग्न:- अनुमोदित प्रोजेक्ट (अनु0 3 हेतु)

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर
/ आदेश /

आदेश क्रमांक/व्यय/2018/24

सागर दिनांक 24/01/2018

वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./142 दिनांक 19/01/2018 द्वारा प्रस्तुत सागर जिला में वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण कड़ान मध्यम परियोजना में प्रभावित 248.46 हेक्ट. वनभूमि के बदले 6.700 हेक्ट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार, दिनांक 03/09/2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. चयनित क्षेत्र का यूजर ऐजेंसी से सीमांकन एवं भूमि को अधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
2. कार्यो में मितव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाये।
3. क्रय की जाने वाली सामग्री में भण्डार क्रय नियमों का पालन करे एवं GST का तत्काल भुगतान करे।
4. रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जायेगा।
5. कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/भू-सर्वे/बजट/1415 दिनांक 24/02/2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/ 168 दिनांक 18/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगी।

क्र	वन मंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हे.में.	राशि ₹ में
1	दक्षिण सागर	गौरझामर	सहजपुरी	1/2	6.700	7467474.00 (चौहत्तर लाख सड़सठ हजार चार सौ चौहत्तर मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-...5... के अनुक्रमांक 69 पर दर्ज है।



(विकास करण वर्मा)

भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत्त सागर

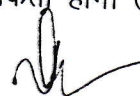
सागर दिनांक 24/01/2018

पृ.क्रमांक/व्यय/2018/582

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र पत्र क्रमांक/मा.चि./142 दिनांक 19/01/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4. मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।
संलग्न:- अनुमोदित प्रोजेक्ट (अनु0 3 हेतु)



मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत्त सागर

प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. में)	दर	वर्षवार व्यय राशि	प्रति हेक्टर व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	2017-18	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी	96.00	274.00	12750000.00	132812.00
2	2018-19	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	96.00	301.40	5277008.00	54969.00
3	2019-20	तृतीय वर्ष	96.00	331.54	3212011.00	33458.00
4	2020-21	चतुर्थ वर्ष	96.00	364.69	2762863.00	28780.00
5	2021-22	पंचम वर्ष	96.00	401.15	1339746.00	13956.00
6	2022-23	षष्ठम वर्ष	96.00	441.26	425000.00	4427.00
7	2023-24	सप्तम वर्ष	96.00	485.38	340000.00	3541.00
8	2014-25	अष्टम वर्ष	96.00	533.91	210000.00	2188.00
9	2025-26	नवम वर्ष	96.00	587.30	200000.00	2083.00
10	2026-27	दशम वर्ष	96.00	646.03	190000.00	1979.00
		योग	96.00		26706628.00	278193.00
11	आस्था मूलक कार्य			5 प्रतिशत	1335332.00	
12	मानव संसाधन विकास काय			01 प्रतिशत	267066.00	
13	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण			04 प्रतिशत	1068265.00	
				योग	2670663.00	
				योग+कुल योग	29377291.00	306013.00

वनमंडल अधिकारी
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिक्षेत्र अधिकारी
मालथौन

कार्यालय/सागर/10/10 सजा दि. 27.11.18
शा. के. नवी. सुमोहित

प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. में)	दर	वर्षवार व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	2017-18	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी	30.00	274.00	5520000.00	184000.00
2	2018-19	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	30.00	301.40	1500318.00	50010.00
3	2019-20	तृतीय वर्ष	30.00	331.54	1105773.00	36859.00
4	2020-21	चतुर्थ वर्ष	30.00	364.69	1103400.00	36780.00
5	2021-22	पंचम वर्ष	30.00	401.15	909975.00	30332.00
6	2022-23	षष्ठम वर्ष	30.00	441.26	400000.00	13333.00
7	2023-24	सप्तम वर्ष	30.00	485.38	200000.00	6667.00
8	2014-25	अष्टम वर्ष	30.00	533.91	190000.00	6333.00
9	2025-26	नवम वर्ष	30.00	587.03	180000.00	6000.00
10	2026-27	दशम वर्ष	30.00	646.03	170000.00	5667.00
		योग	30.00		11279466.00	375982.00
11	आस्था मूलक कार्य			5 प्रतिशत	563973.00	
12	मानव संसाधन विकास काय			01 प्रतिशत	112795.00	
13	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण			04 प्रतिशत	451179.00	
				योग	1127947.00	
				योग+कुल योग	12407413.00	

वनमंडल अधिकारी
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिक्षेत्र अधिकारी
मालथौन

कार्यालय नं. 10/1/11 दि. 27.11.18

शतक नं. 10/1/11

मुख्य वन संरक्षक, एवं
पदेन वन संरक्षक,
सागर वृत्त - सागर

भाग - 4

प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा (26.51 हे०)

	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रु०	प्रति हे० व्यय
1	2017-2018	भूमि तैयारी	2910.25	274	5000000	100000
2	2018-2019	रोपण	1723.04	301.40	1850000	37000
3	2019-2020	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	1065.64	331.54	600000	12000
4	2020-2021	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	783.04	364.69	400000	8000
5	2021-2022	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	533.04	411.15	310000	6378
6	2022-2023	रोपण के पश्चात् चतुर्थी वर्ष का रखरखाव	325.04	441.26	150000	2669.70
7	2023-2024	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	325.04	485.38	210000	4157.58
8	2024-2025	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	325.04	533.91	180000	3563.65
9	2025-2026	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	325.04	587.30	200000	3959.61
10	2026-2027	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	325.04	646.03	265000	5246.48
योग मानव दिवस :-			8640.21		9165000	
11	रोपण का 1 प्रतिशत मानव ससाधन विकास कार्य				91650	
12	रोपण का 5 प्रतिशत आस्था मूलक कार्य				458250	
13	रोपण का 4 प्रतिशत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण				366600	
योग- कुल योग :-					10081500	201630
रोपण का 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क						
महायोग :-						

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वन मंडल अधिकारी
बण्डा

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा के साथ प्रेषित है।

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मंडल सागर

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

नवम् वर्ष 2025-26 रखरखाव कार्य

10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर

588.67

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा. दि.	दर रूपयों में	राशि
1	2	4	5	6	7	8
1	अग्नि सुरक्षा हेतु 6 मी. चौड़ी पट्टी लाइन कटाई सफाई जलाई	1.5	Par K.M.	2.25	1324.51	1987
2	सुरक्षा कार्य 12 माह हेतु 08 घंटा प्रति श्रमिक के हिसाब से 01 श्रमिक	12	Per Month	-	15305.48	183666
3	अन्य व्यय	-	-	-	-	14347
योग :-						200000.00

दशम् वर्ष 2026-27 रखरखाव कार्य

10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर

647.54

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा. दि.	दर रूपयों में	राशि
1	2	4	5	6	7	8
1	अग्नि सुरक्षा हेतु 6 मी. चौड़ी पट्टी लाइन कटाई सफाई जलाई	1.5	Par K.M.	2.25	1456.96	2185
2	सुरक्षा कार्य 12 माह हेतु 08 घंटा प्रति श्रमिक के हिसाब से 01 श्रमिक	12	Per Month	-	16836.03	202032
3	अन्य व्यय	-	-	-	-	20782
योग :-						225000

गोश्वारा

क्र.	कार्य का वर्ष	राशि	प्रति हे.
1	प्रथम वर्ष 2017-18 क्षेत्र तैयारी		
2	द्वितीय वर्ष 2018-19 वृक्षारोपण कार्य	2752589	588160
3	तृतीय वर्ष 2019-20 रखरखाव कार्य	690000	147436
4	चतुर्थ वर्ष 2020-21 रखरखाव कार्य	385000	82265
5	पंचम वर्ष 2021-22 रखरखाव कार्य	300000	64103
6	षष्ठम वर्ष 2022-23 रखरखाव कार्य	280000	59829
7	सप्तम वर्ष 2023-24 रखरखाव कार्य	200000	42735
8	अष्टम वर्ष 2024-25 रखरखाव कार्य	175000	37393
9	नवम् वर्ष 2025-26 रखरखाव कार्य	190000	40598
10	दशम् वर्ष 2026-27 रखरखाव कार्य	200000	42735
कुल योग राशि :-		225000	48077
11	आस्थामूलक कार्य	5397589	1153331
12	मानव संसाधन विकास कार्य	5%	5.00 269879 269879
13	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	1%	1.00 53976 53976
		4%	4.00 215904 215904
योग		539758.93	
महायोग		5937348	
प्रतिहेक्टेयर		1268664	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
केसली

उप वन मण्डल अधिकारी
देवरी

वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर

नवम् वर्ष 2025-26 रखरखाव कार्य
10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर

588.67

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा. दि.	दर रूपयों में	राशि
1	2	4	5	6	7	8
1	अग्नि सुरक्षा हेतु 6 मी. चौड़ी पट्टी लाइन कटाई सफाई जलाई	3	Par K.M.	2.25	1324.51	3974
2	सुरक्षा कार्य 12 माह हेतु 08 घंटा प्रति श्रमिक के हिसाब से 02 श्रमिक	24	Per Month	-	15305.48	367332
3	वृक्षारोपण क्षेत्र की मॉनीटरिंग कार्य	LS	LS	LS	LS	0
4	अन्य व्यय	-	-	-	-	68695
योग :-						440000.00

दशम् वर्ष 2026-27 रखरखाव कार्य
10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर

647.54

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा. दि.	दर रूपयों में	राशि
1	2	4	5	6	7	8
1	अग्नि सुरक्षा हेतु 6 मी. चौड़ी पट्टी लाइन कटाई सफाई जलाई	3	Par K.M.	2.25	1456.96	4371
2	सुरक्षा कार्य 12 माह हेतु 08 घंटा प्रति श्रमिक के हिसाब से 02 श्रमिक	24	Per Month	-	16836.03	404065
3	अन्य व्यय	-	-	-	-	91564
योग :-						500000

गोश्वारा

क्र.	कार्य का वर्ष	राशि				प्रति हे.
1	प्रथम वर्ष 2017-18 क्षेत्र तैयारी				6837347	475476
2	द्वितीय वर्ष 2018-19 वृक्षारोपण कार्य				1749470	121660
3	तृतीय वर्ष 2019-20 रखरखाव कार्य				1245000	86579
4	चतुर्थ वर्ष 2020-21 रखरखाव कार्य				850000	59110
5	पंचम वर्ष 2021-22 रखरखाव कार्य				750000	52156
6	षष्ठम वर्ष 2022-23 रखरखाव कार्य				450000	31293
7	सप्तम् वर्ष 2023-24 रखरखाव कार्य				450000	31293
8	अष्टम् वर्ष 2024-25 रखरखाव कार्य				400000	27816
9	नवम् वर्ष 2025-26 रखरखाव कार्य				440000	30598
10	दशम् वर्ष 2026-27 रखरखाव कार्य				500000	34771
	कुल योग राशि :-				13671817	950752
11	आस्था मूलक कार्य	5%	5.00	13671817	683590.8681	
12	मानव संसाधन विकास कार्य	1%	1.00	13671817	136718.1736	
13	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	4%	4.00	13671817	546872.6945	
				महायोग योग	1367181.74	
					15038999	
					1045827	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
केसली

उप वन मण्डल अधिकारी
देवरी

वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर

गोश्वारा

कार्य का वर्ष		राशि			
1	प्रथम वर्ष 2017-18 क्षेत्र तैयारी			10198844	
2	द्वितीय वर्ष 2018-19 वृक्षारोपण कार्य			10784933	
3	तृतीय वर्ष 2019-20 रखरखाव कार्य			5670000	
4	चतुर्थ वर्ष 2020-21 रखरखाव कार्य			5450000	
5	पंचम वर्ष 2021-22 रखरखाव कार्य			803000	
6	षष्ठम वर्ष 2022-23 रखरखाव कार्य			880000	
7	सप्तम वर्ष 2023-24 रखरखाव कार्य			963000	
8	अष्टम वर्ष 2024-25 रखरखाव कार्य			1048000	
9	नवम वर्ष 2025-26 रखरखाव कार्य			1154000	
10	दशम वर्ष 2026-27 रखरखाव कार्य			1255000	
कुल योग राशि :-				38206777	
11	आस्थामूलक कार्य	5%	5.00	1910339	1910339
12	मानव संसाधन विकास कार्य	1%	1.00	382068	382068
13	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	4%	4.00	1528271	1528271
योग				3820677.69	

महायोग 42027455

प्रतिहेक्टेयर 1052265

वन परिक्षेत्र अधिकारी
देवरी

उप वन मण्डल अधिकारी
देवरी

वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर

Approved


मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृक्ष, सागर

गोश्वारा

क.	कार्य का वर्ष	राशि
1	प्रथम वर्ष 2017-18 क्षेत्र तैयारी	3433604
2	द्वितीय वर्ष 2018-19 वृक्षारोपण कार्य	1570946
3	तृतीय वर्ष 2019-20 रखरखाव कार्य	325909
4	चतुर्थ वर्ष 2020-21 रखरखाव कार्य	272410
5	पंचम वर्ष 2021-22 रखरखाव कार्य	189108
6	षष्ठम वर्ष 2022-23 रखरखाव कार्य	229018
7	सप्तम् वर्ष 2023-24 रखरखाव कार्य	165979
8	अष्टम् वर्ष 2024-25 रखरखाव कार्य	177377
9	नवम् वर्ष 2025-26 रखरखाव कार्य	211315
10	दशम् वर्ष 2026-27 रखरखाव कार्य	212946
	कुल योग राशि :-	6788613

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	339431	
मानव संसाधन विकास कार्य	01 प्रतिशत	67886	
मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	04 प्रतिशत	271544	
योग -		678861	
कुल योग-		7467474	1114548.00/₹.

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गौरझामर

उप वन मण्डल अधिकारी
देवरी

वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर

का.प्र.मं.नं. 7/चप/18/24 सागर नि.मं. उल्लेखित शर्त
 के तहत अनुमानित
 29/11/18
 वन मण्डल सागर - सागर